भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-20

उत्तर देने की तारीख-24/07/2024

नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ध्यान दिये जाने वाले प्रमुख क्षेत्र

20 श्री कार्तिकेय शर्माः

क्या ***शिक्षा मंत्री*** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) नई शिक्षा नीति (एनईपी) और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफ) के अंतर्गत किन-किन प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है;

(ख) क्या एनईपी और एनसीएफ के कार्यान्वयन हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एनईपी के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों से परामर्श किया गया है;

(घ) क्या इसे सरकार द्वारा संचालित सभी स्कूली शिक्षा कार्यक्रमों/योजनाओं में लागू किया जाएगा; और

(ङ) एनईपी के कार्यान्वयन के लिए कुल कितना वित्तीय परिव्यय किए जाने की योजना बनाई गई है?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (ड.) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

"नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ध्यान दिये जाने वाले प्रमुख क्षेत्र" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री कार्तिकेय शर्मा द्वारा पूछे गए दिनांक 24.07.2024 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 20 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की घोषणा 29 जुलाई, 2020 को की गई थी। यह 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और यह पहुँच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही के पाँच मार्गदर्शक स्तंभों पर आधारित है। एनईपी 2020 के माध्यम से स्कूली शिक्षा में व्यापक परिवर्तन की परिकल्पना की गई है - "भारतीय लोकाचार में निहित एक शिक्षा प्रणाली जो सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करते हुए भारत को एक समतापूर्ण और जीवंत ज्ञान समाज में बदलने में सीधे योगदान देती है, जिससे भारत एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बन जाता है।"

स्कूली शिक्षा के संदर्भ में एनईपी 2020 में ध्यान दिए जाने वाले प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार हैं:

i. प्री-प्राइमरी स्कूल से लेकर ग्रेड 12 तक स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना;
ii. 3-6 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा सुनिश्चित करना;
iii. नया पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा (5+3+3+4);
iv. कला और विज्ञान के बीच, पाठ्यक्रम और पाठ्येतर कार्यकलापों के बीच, व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं के बीच कोई गंभीर विभाजन नहीं;
v. राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन की स्थापना;
vi. बहुभाषावाद और भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर जोर; कम से कम ग्रेड 5 तक, लेकिन अधिमानतः ग्रेड 8 और उससे आगे तक, शिक्षा का माध्यम घर की भाषा/मातृभाषा/स्थानीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा होगी;
vii. एक नए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, परख (समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण) की स्थापना;
viii. समतामूलक और समावेशी शिक्षा - सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) पर विशेष जोर दिया गया;
ix. शिक्षकों की भर्ती और योग्यता आधारित प्रदर्शन के लिए सुदृढ़ और पारदर्शी प्रक्रिया;
x. कौशल शिक्षा कार्यक्रमों को मुख्यधारा की शिक्षा के साथ एकीकृत करना;
xi. स्कूल परिसरों और क्लस्टरों के माध्यम से सभी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना;
xii. राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण (एसएसएसए) की स्थापना।

एनईपी 2020 की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में और एनईपी 2020 के दृष्टिकोण के कार्यान्वयन के लिए रोडमैप उपलब्ध कराने के लिए, बुनियादी चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ-एफएस) और स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ-एसई) विकसित की गई है। एनसीएफ का व्यापक उद्देश्य स्कूली शिक्षा को सकारात्मक रूप से बदलने में सहायता करना है।

एनसीएफ के कुछ महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य क्षेत्र हैं: -

i. एनसीएफ-एसई 2023, एनईपी 2020 में परिकल्पित स्कूली शिक्षा के 5+3+3+4 पाठ्यक्रम और शैक्षणिक पुनर्गठन के चार चरणों में 3 से 18 वर्ष के आयु वर्ग से संबंधित है।

ii. प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के माध्यम से समग्र विकास पर जोर देते हुए, एनसीएफ-एफएस बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान कौशल को सुदृढ करने के लिए रोडमैप उपलब्ध कराता है।

iii. यह मातृभाषा में शिक्षा पर जोर देता है और बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देता है।

iv. यह गणित से लेकर खेल तक सभी विषयों और अधिगम डोमेन को समान दर्जा देते हुए एकीकृत और समग्र है।

v. यह सभी चरणों में कौशल शिक्षा को एकीकृत करता है; साथ ही, सभी कक्षाओं में विषयों के बीच एकीकरण है।

vi. ग्रेड 3 से इन विषय क्षेत्रों के लिए पर्याप्त समय आवंटन के साथ बुनियादी चरण से ही कला और शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य और कल्याण पर समान जोर।

vii. यह कार्यक्षेत्र से चित्रों और उदाहरणों के माध्यम से सीधे शिक्षकों, चिकित्सकों और पाठ्यक्रम और सामग्री डेवलपर्स से जुड़ता है।

(ख) एनईपी 2020 का कार्यान्वयन एक सतत प्रक्रिया है और इसके कार्यान्वयन के लिए कई पहलों और कार्यों की आवश्यकता होती है, जिन्हें संबंधित निकायों/हितधारकों द्वारा समन्वित और व्यवस्थित तरीके से किया जाता है। एनईपी **2020** के लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुसरण में और राज्यों**,** संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य संगठनों की सहायता करने के लिए**,**

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने स्कूल शिक्षा, 'गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से छात्रों' और 'शिक्षकों की समग्र उन्नति (सार्थक)' के लिए एक सांकेतिक और सलाहकारी एनईपी कार्यान्वयन योजना बनाई है और यह नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध है।:

https://dsel.education.gov.in/sites/default/files/SARTHAQ_Part-1_updated.pdf

https://dsel.education.gov.in/sites/default/files/SARTHAQ_Part-2_updated.pdf

एनईपी 2020 **की प्रमुख उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं:**

- 5 जुलाई 2021 को राष्ट्रीय बोध पठन एवं संख्या ज्ञान में दक्षता पहल (निपुण भारत) का शुभारंभ किया गया।
- एनसीटीई द्वारा दिनांक 22.10.2021 के राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (आईटीईपी) अधिसूचित किया गया है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए, आईटीईपी के चरण 2 के प्रायोगिक संचालन के लिए एनसीटीई द्वारा 23 संस्थानों को मान्यता दी गई है।
- 20 अक्टूबर, 2022 को बुनियादी चरण (एनसीएफ एफएस) के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का शुभारंभ किया गया।
- एनसीएफ पर आधारित, अधिगम शिक्षण सामग्री (जादुई पिटारा) और कक्षा । और ।। के लिए पाठ्यपुस्तकें क्रमशः 20 फरवरी, 2023 और 5 जुलाई, 2023 को शुरूआत की गईं। 10 फरवरी, 2024 को जादुई पिटारा का डिजिटल संस्करण भी शुभारंभ किया गया।
- स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफ-एसई) दिनांक 23 अगस्त 2023 को जारी की गई। शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए कक्षा 3 और 6 के लिए एनसीएफ-एसई (2023) के अनुसार पाठ्यपुस्तकें जारी की गई हैं।
- मानदंड, मानक, दिशानिर्देश निर्धारित करने और छात्र मूल्यांकन से संबंधित कार्यकलापों को लागू करने के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दिनांक **8** फरवरी, **2023** को परख **(**समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण**)** की स्थापना की गई है।

- समग्र विकास के लिए योग्यता आधारित मूल्यांकन हेतु प्रारंभिक, बुनियादी, मध्य और माध्यमिक स्तर के लिए समग्र प्रगति कार्ड (एचपीसी) तैयार किया गया है और सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया है।
- शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एनपीएसटी) दस्तावेज़ 9 मार्च 2024 को जारी किया गया, जिसमें उन योग्यताओं को रेखांकित किया गया है जो शिक्षकों में अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए होनी चाहिए।
- राष्ट्रीय मेंटरिंग मिशन (एनएमएम)- 9 मार्च 2024 को 'एनएमएम पर ब्लूबुक' जारी की गई- जिसमें स्कूल शिक्षकों को मेंटरिंग प्रदान करने के इच्छुक उत्कृष्ट पेशेवरों के एक बड़े पूल तैयार करने के बारे में बात की गई है।
- पीएम ई-विद्या के तहत, दीक्षा एक राष्ट्र, एक डिजिटल शिक्षा का बुनियादी ढांचा है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दीक्षा में शामिल किया गया है। इस बुनियादी ढांचे का उपयोग सक्रिय पाठ्यपुस्तकों (ईटीबी) के तैयार करने के लिए भी किया जा रहा है और वर्तमान में एनसीईआरटी की **422** ईटीबी और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की **6025** ईटीबी दीक्षा पर प्रकाशित की जाती हैं। दीक्षा पर कुल **3,53,566** ई-सामग्री उपलब्ध हैं और यह ई-सामग्री **84** भाषाओं (**77** भारतीय भाषाओं + **7** विदेशी भाषाओं) में उपलब्ध है।
- समग्र शिक्षा, प्री-स्कूल से कक्षा **12** तक का एक व्यापक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य स्कूल शिक्षा के समान अवसरों और समान अधिगम परिणामों के संदर्भ में स्कूल की प्रभावशीलता में सुधार करना है। यह योजना शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी-**4**) के अनुसार है और इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति **2020** की सिफारिश के साथ पूरी तरह से अनुकूलित किया गया है।
- **डाइट - उत्कृष्टता केंद्र:** एनईपी 2020 में इन संस्थानों की क्षमता और कार्य संस्कृति को बदलने और उन्हें उत्कृष्टता के प्रगतिशील संस्थानों के रूप में विकसित करने के लिए डाइट के पुनरूत्थान को मान्यता दी गई है। अगले पाँच वर्षों में चरणबद्ध तरीके से देश के सभी **613** कार्यात्मक डाइट के वास्तविक उन्नयन के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को समग्र शिक्षा के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। वित्त वर्ष **2023-24** में, **33** राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में **125** डाइट को **92,320.18** लाख रुपये के अनुमानित बजट के साथ अनुमोदित किया गया है।
- प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (**पीएम पोषण**) योजना को नया रूप दिया गया है और सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा I-VIII के छात्रों के अलावा बालवाटिका के छात्रों को भी इसमें शामिल किया गया है। यह स्कूल पोषण उद्यान

(एसएनजी) की स्थापना और 'तिथि भोजन' के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी के सुदृढ़ीकरण को प्रोत्साहित करता है।

- **पीएम श्री (पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) योजना** 07 सितंबर 2022 को शुरू की गई। वित्त वर्ष 2023-24 में केवीएस/एनवीएस के साथ-साथ 27 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के 6207 पीएम श्री स्कूलों को 1216.70 करोड़ रुपये का केंद्रीय अंश जारी किया गया है। पीएम श्री स्कूलों के चयन का पहला और दूसरा चरण पूरा हो चुका है और 31 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों/केवीएस/एनवीएस से कुल 10,080 स्कूलों का चयन किया गया है। पीएम श्री स्कूलों के चयन का तीसरा चरण दिनांक 15.04.2024 से शुरू हो गया है।
- **नव भारत साक्षरता कार्यक्रम या उल्लास (समाज में सभी के लिए आजीवन अधिगम समझ)** 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी निरक्षरों को आजीवन अधिगम अवसर प्रदान करता है। दिनांक 30.7.2023 को लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप पर 1,49,93,987 शिक्षार्थियों और 37,02,943 स्वयंसेवी शिक्षकों ने पंजीकरण कराया है।

(ग) से (ङ) एनईपी 2020 को तैयार करने के दौरान, राज्य/संघराज्य क्षेत्र सरकारों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ बड़ी संख्या में परामर्श किए गए। नीति को अंतिम रूप देने से पहले, राज्य सरकारों को शामिल करते हुए ऑनलाइन, जमीनी स्तर और विषयगत विशेषज्ञ के साथ परामर्श के माध्यम से एक अत्यधिक सहभागी, समावेशी और बहुआयामी परामर्श प्रक्रिया की गई।

एनईपी **2020** की घोषणा के बाद, एनईपी के कार्यान्वयन के लिए नवीन विचारों पर चर्चा करने हेतु केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों, कार्यान्वयन एजेंसियों, अन्य हितधारकों आदि के साथ कार्यशालाओं की एक श्रृंखला आयोजित की गई है। तदनुसार, शिक्षा मंत्रालय, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारें, शिक्षा से संबंधित मंत्रालय, नियामक और कार्यान्वयन एजेंसियां/हितधारकों ने एनईपी **2020** के कार्यान्वयन के लिए पहल करना शुरू कर दिया है।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) ने उपर्युक्त विषयों पर विचार-विमर्श करने तथा उनके सुझाव प्राप्त करने के लिए सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के साथ राष्ट्रीय/क्षेत्रीय कार्यशालाओं - एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला तथा **2** क्षेत्रीय कार्यशालाओं का

आयोजन किया। प्रतिभागियों में राज्य सचिव, समग्र शिक्षा के राज्य कार्यक्रम निदेशक, एससीईआरटी के निदेशक तथा कई अन्य राज्य स्तरीय शैक्षिक प्रशासक शामिल थे।

विभाग ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ बुनियादी अधिगम पर पांच भौतिक कार्यशालाएं आयोजित कीं - प्रतिभागियों को जिला, ब्लॉक और स्कूल स्तर से लिया गया, जिसमें शिक्षक, डीआईईटीएस आदि शामिल थे। सुझाव प्राप्त करने के लिए इन कार्यशालाओं में सभी पांच विषयों पर चर्चा की गई।

विभाग ने सिनियर स्कूल शिक्षा सचिवों की अध्यक्षता में **5** विषयगत समूह गठित किए - राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दिए गए सुझावों को शामिल करने के बाद, डीओएसईएल द्वारा **7-8** राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के **5** विषयगत समूह गठित किए गए। इनमें से प्रत्येक समूह की अध्यक्षता राज्य के एसीएस (शिक्षा) द्वारा की गई। इन समूहों में शिक्षा सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, विभिन्न राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के एससीईआरटी के निदेशक, बाहरी विशेषज्ञ और **2-3** जिलों के डीएम/डीसी शामिल थे।

इसके अलावा, एनईपी 2020 की विभिन्न सिफारिशों और इसके कार्यान्वयन रणनीतियों पर चर्चा के लिए 8 से 25 सितंबर 2020 तक शिक्षकों का एक उत्सव, 'शिक्षक पर्व' विशेष रूप से आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 15 लाख सुझाव प्राप्त हुए।

इसके अतिरिक्त, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने स्थानीय परिप्रेक्ष्य और आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षकों का प्रशिक्षण, खिलौना-आधारित अधिगम-शिक्षण सामग्री (एलटीएम) का विकास आदि जैसे विभिन्न कार्यकलाप भी संचालित कर रहे हैं।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने मौजूदा योजना अर्थात् समग्र शिक्षा को एनईपी 2020 की सिफारिशों के साथ पूरी तरह से अनुकूलित कर दिया है और एनईपी 2020 की सिफारिशों को शामिल करने के लिए इस योजना के तहत राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को बजटीय आवंटन किया गया है। इसके अतिरिक्त एक केन्द्र प्रायोजित योजना, पीएम श्री की परिकल्पना की गई है और इसे 14,500 आदर्श विद्यालयों के विकास के लिए क्रियान्वित किया जा रहा है जो विद्यालयों के लिए एक आदर्श के रूप में कार्य करेंगे। तथापि, एनईपी का कार्यान्वयन केवल स्कूल शिक्षा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कौशल शिक्षा और उच्चतर शिक्षा तक की व्यापक परिकल्पना की गई है।
